रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 365] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 18, 1984/भाद्र 27, 1906
No. 365] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 18, 1984/BHADRA 27, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विदेश कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1984

शुद्धि-पत्र

सा.का.नि. 668(अ) :—भारत के राजपत्र के भाग II—खण्ड 3(i) के असाधारण अंक दिनांक 18 जनवरी, 1984/28 पौष, 1905 के पृष्ठ सं. 1-21 पर प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 39(अ) दिनांक 18 जनवरी, 1984 में :—

क्र. सं.	पृ.सं.	अनुच्छेद	पंक्ति संख्या	के स्थान पर	पढ़ें
1	2	3	4	5	6
1.	2	2(2)	1	समय रूप	समरूप
2.	2	2(2)	2	अधिसमय	अभिसमय
3.	2	3(1ख)	3	चुक	चूक
4.	2	3(1ख)	4	संदर्भ देय	संदर्भ में देय
5.	2	3(1ख)	5	संबंधी	संबंधों
6.	2	3(1ज)	1	(ज)	(ग)
7.	2	3(1ज)	2	लाग	लागू
8.	2	3(1ड)	1	(ङ)	(घ)
9.	2	3(1ङ)	1	उद्यमय	उद्यम
10.	2	3(1ड)	2	उद्यमय	उद्यम
11.	2	3(1ङ)	2	निवारी	निवासी
12.	2	3(1.ङ)	3	संचलित	संचालित
13.	2	3(1.ङ)	3	उद्यमय	उद्यम
14.	2	3(1.ङ)	4	उद्यमय	उद्यम
15.	2	3(1.छ)(ii)	3	एसे	ऐसे
16.	2	4(2क)	3	हों	हो
17.	2	4(2क)	6	किया जाएगा।	किया जाएगा ;
18.	2	4(2ख)	3	गृह हो नहीं	गृह नही हो
19.	3	5(3घ)	1	भरने	करने
20.	3	5(5)	2	स्थापना	स्थापन
21.	3	5(8)	2	जहां	जब
22.	3	5(8)	4	थियटर	थियेटर
23.	3	6(4)	2	प्रयु	प्रयुक्त
24.	4	7(1)	7	हैं।	हों।
25.	4	7(3)	5	रहती है जब	रहती जब।
26.	4	7(3)	7	पूर्णत	पूर्णतः
27.	4	7(3)	11	लांभों	लाभों
28.	4	7(5)	1	कटौतियां	कटौतियों

1	2	3	4	5	6
29.	4	7(5)	3	किए गए हो	गिए गए हों
30.	4	7(5)	6	कानन	कानून
31.	4	7(6)	1	लाभ	लाभ
32.	4	7(8)	4	शामिल है) ।	शामिल हैं),
33.	4	9	2	वाणिज्यक	वाणिज्यिक
34.	4	9	5	परन्तु उन, शर्तों	परन्तु, उन शर्तों
35.	5	10(2.ग)	5	रखती हो ।	रखती हो
36.	5	10(5)	7	अंशत:	अंशत:
37.	5	11(5)	6	उस प्रकार	इस प्रकार
38.	5	11(7)	7	लागू होंगे ऐसे	लागू होंगे । ऐसे
39.	5	12(3)	1	कलात्मक	कलात्मक
40.	6	13(5)	3	कानन	कानून
41.	6	14(3)	1–2	पद बंध	पद-बंध
42.	6	14(5)	3	राज्य हो कोई	राज्य हो, कोई
43.	6	14(6)	4	सवाओं	सेवाओं
44.	6	15(1)	3	कायकलापों	कार्यकलापों
45.	6	15(1ख)	2	"कर-प्रभार"	"कर-प्रभार वर्ष"
46.	7	16(2)	2	राज्नै	राज्य
47.	7	16(3)	1	पराग्राफ	पैराग्राफ
48.	7	16(3)	2	वाययान	वायुयान
49.	7	17	2	हसियत	हैसियत
50.	7	18	6	ऐसा	ऐसी
51.	7	18	8	प्रत्यक्ष	प्रत्यक्षत:
52.	7	18	9	सरकार का	सरकार को
53.	7	18	9	पर्यासत,	पर्याप्तत:,
54.	7	18(2)	2	संविदाकारा	संविदाकारी
55.	7	19	शीर्षक	सरकारा कार्य	सरकारी कार्य
56.	7	19(4)	2	राज्यों को	राज्यों की
57.	7	19(4)	3	बक आफ	बैंक आफ
58.	7	20	शीर्षक	अनुच्छेद	अनुच्छेद
59.	7	20	शीर्षक	गैर सरकारी पेंशन तथा वर्षि कियां	गैर-सरकारी पेंशन तथा वर्षिकियां
60.	7	20(1)	1	दूसर	दूसरे
61.	7	20(3)	1	"वार्षिक"	"वार्षिकी"
62.	8	21	शीर्षक	तथा व्यापर	तथा व्यापार
63.	8	21 (1ख.ii)	2	उद्देशय	उद्देश्य
64.	8	21 (1.ख.iii) 2	2	1.500	1,500
65.	8	21(2)	2	प्रथमोलिलखिन	प्रथमोल्लिखित
66.	8	21(2.क)	3	तकनीकी व्यावसायिक	तकनीकी, व्यावसायिक
67.	8	21(2.ख)	7	अवधी	अवधि
68.	8	21(3)	6	प्रशिषण	प्रशिक्षण
69.	8	21(3)	7	संबंध में का गई वैक्तिक	संबंध में की गई वैयक्तिक
70.	8	23	2	मदें वे	मदें, वे
71.	8	23	6	पर दूसरे	पर उस दूसरे
72.	8	अध्याय IV	शीर्षक	कराधान के उपकरण	कराधान के अपाकरण
73.	8	24(2.क)	1	अधिसमय	अभिसमय
74.	8	24(2.क)	4	हैं, तो देय जम्भिया	है, तो देय आम्भिया
75.	8	24(2!ख)	4	विकास	विकास के प्रयोजन के लिए कर की किसी छूट अथवा घटौती प्रदान करते हैं,
76.	9	24(3.ख)	5	गया हैं ।	गया है :
77.	9	24(3.ख. iii)	5	भारत में किसी औद्योगिक उपक्रम की	भारत में किसी स्वीकृत विदेशी वित्तीय संस्था द्वारा भारत में किसी औद्योगिक उपक्रम को
78.	9	24(3.ख IV)	2	निवेश में छूट	निवेश छूट
79.	9	24(3खXI)	2	लाभाशों	लाभांशों
80.	9	अध्याय V	शीर्षक	विशष अपबंध	विशेष उपबन्ध
81.	9	25(1)	5	सकती है ।	सकती हैं ।
82.	9	26	शीर्षक	कार्यविधी	कार्यविधि
83.	9	26(1)	6	नोटिस को	नोटिस की
84.	9	26(2)	5	हल कर	हल करने
85.	10	26(3)	5	सकते हैं जिनकी	सकते हैं, जिनकी
86.	10	26(4)	1	पूर्वो का पैरां	पूर्वोक्त पैरों
87.	10	26(4)	2	पत्र-व्यवाहर	पत्र-व्यवहार
88.	10	27(1)	7	करों कों	करों के
89.	10	27(2)	1	नेम	नेभी
90.	10	27(3.ग)	2	वाणिज्यक	वाणिज्यिक
91.	10	29(2)	3	आदान; प्रदान,	आदान-प्रदान,

[फा. सं. 11/11/65-एफ.टी.डी.]

चांद कृष्ण तिक्कू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

New Delhi, the 18th Sept., 1984

CORRIGENDA

G.S.R. 668(E) :—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R 39(E), dated the 18th January, 1984, published at pages 1 to 21 of the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section(i) dated the 18th January, 1984, —

(1) at page 12,

(a) in Article 4, paragraph 2(c), line 2, *for* "them he" *read* "them, he";

(b) in Article 5, paragraph 3(a), line 3, *for* "tre" *read* "the";

(2) at page 13,
in Article 7,—

(i) paragraph 1, line 2 *for* "teable" *read* "taxable";

(ii) paragraph 4, line 4, *for* 'apporitionment" read "apportionment";

(3) at page 14,
in Article 9, clause (b), line 5, *for* "State;" *read* "State,";

(4) at page 16,
in Article 16, paragraph 1, line 7, *for* "representation" *read* "remuneration";

(5) at page 18,
in Article 21, paragraph 3, line 4, *for* "particant" *read* "participant";

(6) at page 19,

(a) in Article 24 paragraph 3(b), line 7, *for* "1961." *read* "1961:—";

(b) in Article 25, paragraph 4, line 6, *for* "whicr is ther" *read* "which is other".

[F. No. 11/11/65-FTD]
C.K. TIKKU, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1984